



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1491]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2010/आषाढ़ 30, 1932

No. 1491]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2010/ASADHA 30, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

आय-कर

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

INCOME-TAX

का.आ. 1756(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (वी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 2292(अ), तारीख 9-9-2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"30	2010-2011	711"
-----	-----------	------

[अधिसूचना सं. 59/2010/फा. सं. 142/11/2010-टीपीएल]

अलका गौतम, अवर सचिव (टीपीएल-IV)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 2292(अ), तारीख 9-9-2009 द्वारा किया गया था।

S.O. 1756(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of the Explanation to Section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes number S.O. 2292(E), dated the 9th September, 2009, namely :—

In the said notification, in the Table, after serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"30	2010-2011	711"
-----	-----------	------

[Notification No. 59/2010/F. No. 142/11/2010-TPL]

ALKA GAUTAM, Under Secy. (TPL-IV)

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 709(E), dated the 20th August, 1998 and lastly amended vide number S.O. 2292(E), dated the 9th September, 2009.